कौटिल्य एकेडमी
www.kautilyaacademy.com IAS • IPS • MPPSC • CJ-II

CURRENT AFFAIR

15th JULY 2023

1. इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस 2023
2. चुनावी बॉन्ड की पादर्शिता
3. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम
4. सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्रगति रिपोर्ट 2023
5. सोलोमन द्वीप (राजधानी: होनियारा)

इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस 2023

- केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री **अश्विनी वैष्णव** ने हाल ही में नई दिल्ली में **आईएमसी-2023** के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किया।
- एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) का सातवां संस्करण, दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा संयुक्त रूप से **27 से 29 अक्टूबर** तक प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा।
- इस वर्ष दिल्ली **'ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन'** की थीम के साथ। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आईएमसी 2023 कार्यक्रम में लगभग 100,000 से अधिक प्रतिभागी, 5,000 से अधिक सीएक्सओ- स्तरीय प्रतिनिधि, 350 से अधिक वक्ता और 400 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे।
- **इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस (2023)** एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवाचारों को प्रदर्शित करता है।
- यह उद्योग के अभिकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकी समर्थक और हितधारकों को एक साथ आने और डिजिटल परिदृश्य के भविष्य पर चर्चा करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।

- भारत ने दूरसंचार क्षेत्र के कई पहलुओं में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है, जैसे **आत्मनिर्भर भारत योजना**, 5G तकनीक का 6G तकनीक से प्रतिस्थापन एवं 6G के रोडमैप का विकास।
- **IMC 2023** उद्योग के अभिकर्त्ताओं, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करके एक अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण पर केंद्रित है।
- यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिये दूरसंचार और सेमीकंडक्टर विनिर्माण सहित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास पर ज़ोर देता है।
- इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस 2023 विश्वव्यापी डिजिटल क्रांति में भारत की अहम भूमिका का प्रतीक है। वैश्विक डिजिटल नवाचार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और क्रॉस-इंडस्ट्री सहयोग पर ज़ोर देने के साथ IMC भारत की तकनीकी प्रगति के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

INDIA MOBILE CONGRESS

चुनावी बॉन्ड की पादर्शिता

- कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल उठाया है। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को बीते चार वित्त वर्षों में मिले चंदे की रकम का आंकड़ा सामने आने के बाद इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाने का भी कांग्रेस ने संकेत दिया है। पार्टी ने चुनावी बॉन्ड से फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है।
- 2016-17 और 2021-22 के बीच, **सात राष्ट्रीय** और **24 क्षेत्रीय दलों** को चुनावी बांड से कुल 9,188.35 करोड़ रुपये का दान मिला, जिसमें से भाजपा का हिस्सा 5,271.9751 करोड़ रुपये था, जबकि अन्य सभी राष्ट्रीय दलों ने मिलकर 1,783.9331 करोड़ रुपये एकत्र किए। **एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)** की रिपोर्ट के अनुसार।
- रिपोर्ट में गुमनाम चुनावी बॉण्ड, प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट दान, सांसदों/विधायकों के योगदान, बैठकों, मोर्चों और पार्टी इकाइयों द्वारा संग्रह से प्राप्त दान का विश्लेषण किया गया।
- **चुनावी बॉण्ड** से सबसे अधिक दान, कुल 3,438.8237 करोड़ रुपए, आम चुनाव के वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22, जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए, में चुनावी बॉण्ड के माध्यम से 2,664.2725 करोड़ रुपए का दान मिला।

- विश्लेषण किये गए **31 राजनीतिक दलों** द्वारा प्राप्त 16,437.635 करोड़ रुपए के कुल दान में से 55.90% चुनावी बॉण्ड से, 28.07% कॉर्पोरेट क्षेत्र से और 16.03% अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए है।
- वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय दलों ने चुनावी बॉण्ड दान में 743% की वृद्धि देखी गई।इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय दलों के कॉर्पोरेट दान में केवल 48% की वृद्धि हुई।
- **चुनावी बॉण्ड प्रणाली** को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था।वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिये व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक साधन के रूप में काम करते हैं।
- **चुनावी बॉण्ड की विशेषताएँ-**
  - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपए मूल्यवर्ग में बॉण्ड जारी करता है।
  - धारक की मांग पर देय और ब्याज मुक्त।
  - भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा क्रय योग्य।
  - व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से क्रय योग्य।
  - जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिये वैध।

➔ **अधिकृत जारीकर्त्ता:**

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अधिकृत जारीकर्त्ता है।
- चुनावी बॉण्ड नामित SBI शाखाओं के माध्यम से जारी किये जाते हैं।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम

- दिल्ली हाई कोर्ट ने यह देखते हुए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण **(पॉक्सो) अधिनियम** के पीछे का उद्देश्य नाबालिगों को यौन शोषण से बचाना है न कि युवा वयस्कों के बीच सहमति से रोमाटिक संबंधों को अपराध बनाना नहीं था।
- नए नियमों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्धन में स्कूलों और देखभाल घरों में कर्मचारियों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन का प्रावधान, यौन शोषण सामग्री (अश्लील साहित्य) की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, आयु-उपयुक्त बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करना शामिल है।
- बाल पोर्नोग्राफ़ी पर नकेल कसने के लिए, नियमों में कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति जिसे किसी बच्चे से जुड़ी कोई अश्लील सामग्री प्राप्त हुई है या ऐसी अश्लील सामग्री के बारे में कोई जानकारी संग्रहीत, स्वामित्व, वितरित, प्रसारित, संचारित, सुविधा प्रदान की गई, प्रचारित या प्रदर्शित की गई है, या होने की संभावना है किसी भी तरीके से वितरित, सुविधाजनक या प्रसारित की जाने वाली सामग्री की रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या पुलिस, या साइबर क्राइम पोर्टल को की जाएगी।
- न्यायमूर्ति भारती एच. डांगरे की एकल पीठ ने **10 जुलाई** को एक विशेष अदालत के **21 फरवरी, 2019** के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला दिया।

- **POCSO अधिनियम** के तहत विशेष अदालत ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया था और उसे 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी, जबकि लड़की ने कहा था कि वे सहमति से रिश्ते में थे।
- लड़की ने विशेष अदालत को बताया था कि मुस्लिम कानून के तहत उसे बालिग माना जाता है और उनका निकाह हो चुका है।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सहमति से यौन संबंध बनाने के बावजूद निचली अदालत द्वारा केवल लड़की के नाबालिग होने के आधार पर व्यक्ति को दोषी ठहराने वाले फैसले से सहमत नहीं हो सकता।
- हाई कोर्ट के अनुसार, अब समय आ गया है कि हमारे देश की संसद को वैश्विक स्तर के अनुसार किशोरों के यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र सीमा पर संज्ञान लेना चाहिए।
- कोर्ट ने **'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम'** के तहत आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें आरोपियों को तब भी दंडित किया जाता है जब पीड़ित किशोर यह कहते हैं कि वे सहमति से रिश्ते में थे।
- कोर्ट ने कहा कि **"रोमांटिक रिश्तों के अपराधीकरण ने न्यायपालिका, पुलिस और बाल संरक्षण प्रणाली का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करके आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ डाल दिया है"।**

- पीठ ने कहा कि यद्यपि **POCSO अधिनियम** किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति स्वाभाविक भावनाओं को नहीं रोक सकता है, लेकिन एक ऐसे लड़के को दंडित करना जो अपने जैविक परिवर्तनों के कारण एक नाबालिग लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाता है, 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' के खिलाफ होगा।
- कोर्ट ने कहा, "केवल यह आशंका कि किशोर आवेगपूर्ण बुरा निर्णय लेंगे, उन्हें एक ही वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उनकी इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- सहमति की उम्र को जरूरी तौर पर शादी की उम्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि यौन कृत्य केवल शादी के दायरे में नहीं होते हैं और न केवल समाज, बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना चाहिए।
- पीठ ने कहा कि भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की सहमति महत्वहीन हो जाती है, भले ही वह यौन गतिविधि में सक्रिय भागीदार हो किंतु इसे कानून की नजर में **'कोई सहमति नहीं'** माना जाता है।
- इसमें कहा गया है कि किशोरों के मामले में जो सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, **"केवल एक को ही परिणाम भुगतना पड़ता है"।**
- **यद्यपि POCSO अधिनियम,** बच्चों के यौन शोषण को रोकने का उद्देश्य रखता है, किंतु इसने एक 'अधूरा क्षेत्र' (Grey Area) बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप सहमति से बनाये किशोर संबंधों को भी अपराध घोषित कर दिया गया है।

➔ कोर्ट ने कहा कि "यौन स्वायत्तता में वांछित यौन गतिविधि में शामिल होने का अधिकार और अवांछित यौन आक्रामकता से संरक्षित होने का अधिकार शामिल है"।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्रगति रिपोर्ट 2023

- **यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA)** ने जारी की है। इसमें सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की दिशा में हुई वैश्विक प्रगति की निगरानी की गई है।
- SDGs **17 लक्ष्यों और 169 टारगेट्स** का एक सेट है। इनका उद्देश्य मानव कल्याण के लिए विकास कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करना है।
- SDG के 50 प्रतिशत से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति कमजोर रही है; जबकि 30 प्रतिशत लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रुक सी गई है या पहले जैसी स्थिति हो गई है।
- SDGs की प्रगति पर कोविड-19 महामारी तथा तिहरे संकट (जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण) का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है।
- वर्ष 2030 तक, लगभग 84 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर होंगे यानी शिक्षा से वंचित होंगे। साथ ही.. स्कूल जाने वाले 300 मिलियन बच्चे या युवा स्कूल छोड़ देंगे तथा वे पढ़ने और लिखने में असमर्थ हो जाएंगे।
- यदि वर्तमान गति से प्रगति जारी रहती है, तो 2030 में भी 575 मिलियन लोग चरम गरीबी में जी रहे होंगे।
- राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को SDGs से संबंधित वादे को पूरा करने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने तथा बदलाव लाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहरानी चाहिए।

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को **'अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा'** पर कार्य करना चाहिए। यह एक्शन एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण के लिए एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन और असमानता कम करने वाली नीतियों एवं कार्रवाइयों को लक्षित करना चाहिए। इसमें महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए।
- उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली की क्षमता को मजबूत करना चाहिए।

- यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित है। इसे सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी **2030 एजेंडा** से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह संयुक्त राष्ट्र के विकास स्तंभ को बनाए रखता है।
- यह दुनिया भर के देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। इसके लिए वह सरकारों और हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- **यह अन्य रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है:** पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आदि।

सोलोमन द्वीप (राजधानी: होनियारा)

- **प्रधान मंत्री :** मनश्शे सोगावरे
- हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप समूह ने कूटनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस देश के प्रधान मंत्री मनश्शे सोगावर चीन के साथ एक विवादास्पद सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अपनी पहली यात्रा पर हाल में बीजिंग पहुंचे।
- बीजिंग के साथ उनके देश के मेलजोल ने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच गंभीर बेचैनी पैदा कर दी है।
- सोलोमन द्वीप एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसमें दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित मेलानेशिया में ज्वालामुखीय द्वीप और कोरल एटोल शामिल हैं।
- इसकी सीमा से लगा कोई पड़ोसी देश नहीं है।
- यह पापुआ न्यू गिनी से वानुअतु तक फैले ज्वालामुखी आर्क का हिस्सा है।
- **जलवायु:** उष्णकटिबंधीय महासागरीय
- सोलोमन द्वीप में सात बड़े और तीस से अधिक छोटे द्वीपों की दोहरी श्रृंखला शामिल है, जो न्यू गिनी के ठीक पूर्व में स्थित है।
- द्वीपों का नाम 1568 में स्पेनिश नाविक अल्वारो डी मेंडेना द्वारा रखा गया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें राजा सोलोमन की संपत्ति, या सोने की बाइबिल भूमि मिली थी।

PACIFIC OCEAN
FEDERATED STATES OF MICRONESIA
KIRIBATI
NAURU
INDONESIA
PAPUA NEW GUINEA
SOLOMON ISLANDS
TUVALU
HONIARA
CORAL SEA
VANUATU
FIJI
NEW CALEDONIA (FRANCE)
AUSTRALIA